



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102021-230745
CG-DL-E-26102021-230745

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943

No. 614]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि. 759(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 8 के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तों) नियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तों) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तों) नियम, 2021 में, नियम 13 के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) आयोग, शासकीय प्रयोजन के लिए किसी यात्री यान का क्रय नहीं करेगा तथा यानों की आवश्यकता उन्हें किराए पर लेकर पूरी की जाएगी और आयोग के अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य, क्रमशः वेतन स्तर-17 और वेतन स्तर-15

की समतुल्य श्रेणी के केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए वर्तमान उपबंधों के अनुसार यान सुविधा के लिए हकदार होंगे।”।

[फा. सं. क्यू.-15014/10/2020-सी.पी.डब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 593(अ), तारीख 27 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2021

G.S.R. 759(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 25, read with section 8 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021) the Central Government hereby makes following rules further to amend the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Appointment, Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson, Full-time Members and Member-Secretary) Rules, 2021, namely:—

1. (1) These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Appointment, Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson, Full-time Members and Member-Secretary) Amendment Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Appointment, Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson, Full-time Members and Member-Secretary) Rules, 2021, for sub-rule (2) of rule 13, the following rule shall be substituted, namely:—

“(2) The Commission shall not purchase any passenger vehicle for official purpose and the requirement of vehicles shall be met by hiring and the Chairperson and full-time Members of the Commission shall be entitled for vehicle facility as per the extant provisions for the officers of Central Government of equivalent grade in pay level-17 and pay level-15 respectively.”.

[F. No. Q-15014/10/2020-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R.593(E), dated the 27th August, 2021.